कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज–1, पहड़िया, वाराणसी–221007)
दूरभाष/फैक्स– 0542 2585574 ई–मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक– 2075 /29–1 दिनांक, वाराणसी, दिसम्बर, 08 ,2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि,
वाराणसी।

विषयः– जनपद वाराणसी में पाण्डेयपुर चौराहा से रिंग रोड आजमगढ़ मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 4.100 तक 04 लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं शुद्रीकरण कार्य में प्रभावित 4.1525 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 262 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/290/2022/एफ.सी./700 दिनांक 25.11.2022।
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्रांक–1834/11–सी दिनांक 28.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र कमांक–1 के द्वारा विभिन्न शर्तो के साथ भारत सरकार द्वारा विषयगत मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 4.1525 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 262 वृक्षों के पातन के अनुमति विभिन्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी है।

सन्दर्भित पत्र कमांक–1 में दिये गये निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओं से सम्बन्धित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा निधी में स्थानान्तरित/जमा की जायेगी।

भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या आंनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के कार्यालय में 05 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है।

1– बिन्दु संख्या–3 के तहत 8.305 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण योजना के तहत **धनराशि रु0 1470250.00 (रु0 चौदह लाख सत्तर हजार दो सौ पच्चास मात्र)**

2– बिन्दु संख्या–4 के तहत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 4.1525 हे0 (एन.पी.वी) दर 957780.00 प्रति हे0 **रु0 3977181.00 (रु0 उन्तालीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ इक्यासी मात्र)** एन.पी.वी. की धनराशि।

उक्त धनराशि भारत सरकार के द्वारा निर्देशित परिवेश पोर्टल पर अलग–अलग कैम्पा निधी में जमा किया जायेगा।

3– बिन्दु संख्या–6 के अनुसार चौड़ीकरण में बाधक 262 वृक्षों के कटान पर व्यय होने वाली धनराशि की मांग उ0प्र0 वन निगम से किया गया है। मांग पत्र प्राप्त होते ही आपको प्रेषित किया जायेगा।

4– बिन्दु संख्या–6 के अनुसार बाधक 262 वृक्षों पर छपान पर व्यय होने वाली **धनराशि रु0 2620.00 (रु0 दो हजार छः सौ बीस मात्र)** इस पत्र के साथ संलग्न चालान में जमा करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5– बिन्दु संख्या–9 के अनुसार सड़क के मध्य में वृक्षारोपण हेतु योजना प्रस्तुत की जा रही है। योजना में प्रस्तावित सड़क के मध्य 2100 आयरन गार्ड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण में **रु0 16766400.00 (रु0 एक करोड़ सरसठ छाछठ हजार चार सौ मात्र)** धनराशि इस पत्र के साथ प्रेषित किये जा रहे चालान में जमा करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। सड़क के किनारें दोनों पटरी पर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में योजना बनाकर धनराशि की मांग की जा सकें।

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र क्रमांक–1 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

sk

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

<u>संख्या– 2075 /सम दिनांकित ।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

2– वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

sk

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी